राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1005/2007/जयपुर

मैसर्स करण फिनाकेप प्रा.लि.,
एम.आई.रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 15/अपील्स–II/एन्ट्री टैक्स/जयपुर/बी/2005–06 आदेश दिनांक 18.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान स्थानीय क्षैत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 7 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 84 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवसायी की अपील को निरर्थक मानते हुए सारहीन घोषित कर प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर के कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.08.2003 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 24.01.2004 द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत् प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों का क्रेता व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए कायम मांग राशि को अपास्त कर प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसकी पालना में नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6, 7 सपठित अधिनियम की धारा 30 व 58 के अन्तर्गत कुल मांग राशि रूपये 2,53,716/– कायम कर दी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम उक्त मांग के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने प्रकरण दोषपूर्ण मानते हुए इसे

लगातार.....2

सारहीन घोषित कर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उपरोक्त अपील में अपीलीय अधिकारी ने मांग राशि को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो न्यायहित में अनुचित था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील/1616/2010/उदयपुर मोवनी एक्सटेंशन प्रा.लि. बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 12.12.2017 को उद्धरित किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में सहायक आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने को निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2004 के जरिये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6, 7 व अधिनियम की धारा 30 के तहत् नोटिस जारी किया, परन्तु नोटिस की पालना में उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं मिला। अतः न्यायहित में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, और उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य